

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 597] No. 597] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 1, 2008/वैशाख 11, 1930 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 1, 2008/VAISAKHA 11, 1930

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) (मत्स्यपालन प्रशासन अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2008

का.आ. 1069(अ).—केन्द्रीय सरकार, तटीय जलकृषि अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, संख्यांक का.आ. 1803(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 22 दिसम्बर, 2005 में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (ज) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ज) डॉ. आर. पाल राज, सदस्य सचिव''

[फा. सं. 9-4/2006-मा. प्रशा.] तरुण श्रीधर, संयुक्त सचिव (मा.)

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधाण भाग 11, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), में सं. का.आ. 1803(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सं. का.आ. 1359(अ), तारीख 25 अगस्त, 2006, सं. का.आ. 2093(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2006, सं. का.आ. 1720(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2007, सं. का.आ. 1947(अ), तारीख 16 नवम्बर, 2007 और सं. का.आ. 149(अ), तारीख 25 जनवरी, 2008 द्वारा उसमें पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

(Fisherys Administration Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2008

S.O. 1069(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (h) of sub-section 3 of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture *vide* number S.O. 1803 (E), dated 22nd December, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section, 3 Sub-section (ii), dated the 22nd December, 2005, namely:—

In the said notification, for serial number (h) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"(h) Dr. R. Paul Raj, Member Secretary"

[F. No. 9-4/2006-Fy.Admn.]

TARUN SHRIDHAR, Jt. Secy.(Fy.)

Note:—The principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and *vide* No. S.O.1803 (E) dated the 22nd December, 2005, subsequently amended *vide* No. S.O.1359 (E) dated the 25th August, 2006, No. S.O. 2093 (E) dated the 13th December, 2006, No. S.O.1720 (E) dated the 8th October, 2007, No. S.O.1947 (E) dated the 16th November, 2007, and No. S.O.149 (E) dated the 25th January, 2008.